(455)

म/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4543 नवी/पु./4543/17

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प, भोपाल

राजस्व प्र० क्रं - - - -/२०१७

श्रीमति पुनियाबाई आयु लगभग ७० वर्ष,
पत्नी श्री जगन्नाथ जाति जाटव निवासी
मुल्लनपुरा वार्ड नं- २३, गुना कारतकार
ग्राम भोजपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा --- आवेदिका

विरुद्ध

रामचरन आयु लगभग ५० वर्ष आ० स०
श्री देवीलाल जाति अहिरवार व्यवसाय कृषक
निवासी ग्राम भोजपुर तहसील सिरोंज जिला
विदिशा (म०प्र०) - - - - - - - - - - - - अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९ व न्यायालय राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील सिरोंज प्रकरण क्रं- रा०नि०/सीमांकन/ अ/12 /१६-१७ व मामले रामचरन विरुद्ध श्रीमति पुनियाबाई में दिनांक ०१/०६/२०१७ को ग्राम भोजपुर की भूमि खसरा क्रमांक ५६ रकबा ०-७५६ हेक्टर का सीमांकन किया जिसकी जानकारी दिनांक से समय सीमा की धारा ५ के आवेदन पत्र के साथ पुष्टि में शपथपत्र सहित निगरानी सम्मानीय न्यायालय में निम्नलिखित संक्षिप्त तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत है।

---ooo---

(9)

अभिभावक श्री के.एल.एस. ठाकुर
द्वारा आज दिनांक 11/10/17
को पेश।
अधीक्षक

::प्रकरण के तथ्य ::

१- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्त्ता की भूमि खसरा क्रमांक ३१ रकबा ०-७५६ हेक्टर, खसरा क्रमांक ३७ रकबा ०-२५६ हेक्टर कुल २ किता कुल रकबा १-५१८ हेक्टर स्थित ग्राम भोजपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा की भूमिस्वामी है।

(3)

२- यह कि अनावेदक को पटटा प्राप्त हुआ था तथा विवादग्रस्त से लगभग एक किलोमीटर दूर था लेकिन अनावेदक ने अधीनस्थ न्याया

XXIX(a)-BR(H)-11

(455)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4543

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री के.एस. राजपूत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	